

कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय

क्रमांक: जिरअज-11/लेखा/6अ/निलामी/2015/2314

दिनांक: 25-5-15

निलामी विज्ञापित सं. 2/2015

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए (2) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों में जब्तशुदा (पेट्रोल, डीजल, ऑयल) एवं वस्तुओं (ड्रम आदि) के अंतरिम निस्तारण के आदेश पारित किये गये हैं। अन्तरिम निस्तारण योग्य वस्तुओं की इस कार्यालय द्वारा निम्न सामग्री को खुली बोली द्वारा "जहां है जैसा है" के आधार पर गठित कमेटी द्वारा निम्नानुसार स्थान एवं दिनांक को अपराह्न 12 बजे से निलामी प्रारम्भ की जावेगी। इच्छुक सक्षम खरीददार निर्धारित धरोहर राशि निलामी दिनांक को 12.00 बजे पूर्व तक जमा करवाकर निलामी में भाग ले सकते हैं:-

निलामी का स्थान एवं दिनांक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय का कक्ष कमरा नं. 45 निलामी दिनांक: 17-7-15 (निलामी दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में निलामी आगामी कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर होगी।)

क्र. सं.	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	नाम वस्तु व मात्रा	अनुमानित मूल्य (डीजल @ 57.55/- प्रति लीटर) (पेट्रोल @ 72.14/- प्रति लीटर) की दर से	धरोहर राशि
1	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 9/14 श्री उम्मेद सिंह में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 23.03.14	2397.750 ली. हाई स्पीड डीजल (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।) जो कि मिनी टैंकर एचआर-47बी-346 में भरा हुआ है। टैंकर पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में खड़ा है। नोट: वाहन नहीं बेचा जाना है।	1,37,990/-	2800
2	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 7/14 श्री पवन कुमार मीणा में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 21.03.14	1347.750 ली. डीजल जो कि पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में भण्डारित है। (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।)	77560/- तथा 300/- रु. प्रति प्लास्टिक ड्रम	1600
3	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 7/14 श्री पवन कुमार मीणा में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 21.3.14	47.750 ली. पेट्रोल जो कि पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में भण्डारित है। (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।)	3445/- एवं 50/- प्लास्टिक जरिकेन	500
4	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 8/14 श्री पवन कुमार मीणा में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 21.3.14	747.750 ली. डीजल जो कि पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में भण्डारित है। (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।)	43030/- एवं 1200/- (300/- प्रति प्लास्टिक ड्रम) (4 ड्रम)	900
5	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 8/14 श्री पवन कुमार मीणा में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 21.3.14	197.750 ली. पेट्रोल मय 11 प्लास्टिक जरिकेन जो कि पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में भण्डारित है। (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।)	14,265/- एवं 550/- (50/- प्रति प्लास्टिक जरिकेन)	500
6	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 10/14 श्री चन्द्रपाल में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 04.04.14	11,191 ली. हाई स्पीड डीजल (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।) जो कि मिनी टैंकर RJ14-GD-5492 में भरा हुआ है। मिनी टैंकर पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में खड़ा है। नोट: वाहन नहीं बेचा जाना है।	6,44,040/-	13000
7	माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 11/14 श्री कैलाश यादव में पारित अंतरिम निस्तारण आदेश दिनांक: 28.03.14	1597.750 ली. डीजल मय 8 ड्रम (7 प्लास्टिक व एक लोहे का) जो कि पनियाला थाना कोटपूतली जयपुर में भण्डारित है। (सैम्पल रिपोर्ट BIS स्पेसिफिकेशन के अनुसार है।)	91950/- एवं 2400/- रुपये (300 रुपये प्रति ड्रम)	1900

